राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2)विभाग

क्रमांक–प. 3(1)कार्मिक/क–2/2013 जयपुर, दिनांक : 26 AUG 2015

1. समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (सम्भागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर्स) सहित।

परिपत्र

विषय–मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में कम्प्यूटर योग्यता अर्जित करने एवं टंकण गति परीक्षा के संबंध में

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम–9 के अन्तर्गत प्रकियात्मक अपेक्षा में तीन वर्ष के भीतर स्थायीकरण के लिए पात्र बनाने हेतु 'विहित प्रशिक्षण/विभागीय परीक्षा' या 'अंग्रेजी/हिन्दी में कम्प्यूटर पर टंकण गति परीक्षा' उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड–द्वितीय) या समकक्ष पद हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प. 3(67)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 31.07.99 की अनुपालना में भाषा विभाग द्वारा टंकण गति परीक्षा वर्ष में दो बार आयोजित की जाती रही है।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.07.2010 के कम में जारी परिपत्र दिनांक 19.08.2010 एवं 21.09.2010 के अनुसार मृतक के आश्रित को कम्प्यूटर कोर्स उत्तीर्ण करने की अर्हता नियुक्ति के पश्चात एक वर्ष की अवधि में अर्जित करना तथा टंकण गति परीक्षा नियुक्ति के तीन वर्ष के भीतर उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

अनुकम्पा नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों को अधिक अवसर प्रदान करने एवं अवधि गणना संबंधी भ्रांतियों को दूर करने हेतु भाषा विभाग द्वारा परिपत्र कमांक प. 23(1)भापुवि/क.टं.प./2012/2570 दिनांक 03.07.2015 जारी किया गया है जिसके अनुसार अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ लिपिक (लिपिक ग्रेड–द्वितीय) या समकक्ष पद हेतु टंकण गति परीक्षा आगे से वर्ष में तीन बार निम्न कार्यकम अनुसार आयोजित की जावेगी:–

क.सं.	आवेदन प्राप्त होने की अवधि	माह, जिसमें परीक्षा आयोजित होगी
1	01 अगस्त से 30 नवम्बर तक	जनवरी
2	01 दिसम्बर से 31 मार्च	मई
3	01 अप्रैल से 31 जुलाई	सितम्बर

43/2015

परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुकम्पात्मक नियुक्ति प्राप्त कार्मिकों की तीन वर्ष की अवधि की गणना उनकी नियुक्ति दिनांक से परीक्षा आयोजित होने वाले माह (जनवरी/मई/सितम्बर) के अन्तिम दिवस को आधार मानकर की जावेगी। अर्थात नियुक्ति दिनांक से परीक्षा आयोजित करने के माह की अन्तिम तारीख तक, जिस कार्मिक को तीन वर्ष की अवधि पूर्ण नहीं हुई है, उसको ही संबंधित परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकेगा। अवधि पार मामलों में पात्रता तभी होगी जब सक्षम स्तर से शिथिलता/अनुमति प्राप्त कर ली जावेगी।

अतः भाषा विभाग द्वारा घोषित की गई उक्त परिवर्तित व्यवस्था की ओर सभी नियुक्ति प्राधिकारियों का ध्यान विशेषतः आकर्षित करते हुए व्यादिष्ट किया जाता है कि राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम–9 एवं परिपत्र दिनांक 19.08.2010 एवं 21.09.2010 की अनुपालना में संबंधित मृतक आश्रित को नियुक्ति पश्चात कम्प्यूटर योग्यता एवं टंकण गति परीक्षा निर्धारित समयावधि में उत्तीर्ण करने हेतु समय–समय पर निर्देशित करें। उक्त नयी व्यवस्था/निर्देशों को सभी संबंधित की जानकारी में ला दिया जावे। इन निर्देशों की पालना नहीं किये जाने की स्थिति में संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। असफल कार्मिकों को बिना युक्तियुक्त कारणों के अभाव में शिथिलता प्रदान नहीं की जायेगी तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जा सकेगी।

कृपया की गयी कार्यवाही से इस विभाग को सूचित भी करावें।

(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, लोकायुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. निदेशक, भाषा विभाग, राजस्थान जयपुर को इस विभाग का परिपत्र क्रमांक प.3(67)कार्मिक/क–2/84 दिनांक 31.7.99, परिपत्र क्रमांक 5(51)कार्मिक/क–2/88 पार्ट दिनांक 19.08.2010 एवं 21.09.2010 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव

43/2015